60

III/निग0/रीवा/भू-रा0/2017/3311

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष, राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प– रीवा, (म.प्र.)

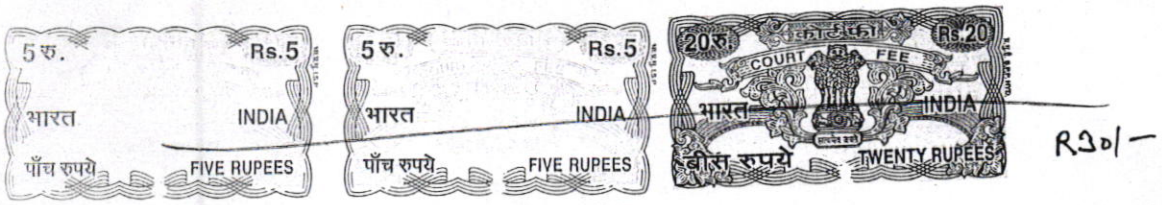

5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

20 रु. कोर्ट फीस COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20

Rs30/-

अवधेश सिंह तनय स्व0 श्री गजाधर सिंह उम्र लगभग 68 वर्ष निवासी वार्ड नं0 5 ढेकहा, रीवा (म0प्र0) ————————— निगरानीकर्तागण

बनाम

अनिल प्रताप सिंह तनय श्री के0पी0 सिंह उम्र 46 वर्ष निवासी अनंतपुर तहसील हुजूर जिला – रीवा (म0प्र0) ————————— गैरनिगरानीकर्तागण

आवेदक अवधेश सिंह द्वारा
पेश 14-9-2017

कलर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
(कैम्प कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 04.04.14 जो राजस्व प्रकरण क्र.0/173 अ 12/13–14 को माननीय नायब़ तहसीलदार महोदय तहसील हुजूर द्वारा पारित किया गया।

*निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू.रा.सं.1959*

## संक्षिप्त विवरण

गैरनिगरानीकर्ता ग्राम गडरिया की आराजी क्र. 99/6, 99/7, 99/7/1, 101/7, 101/6, 101/8 के सीमांकन का आवेदनपत्र राजस्व निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया गया, गैरनिगरानीकर्ता ने निगरानीकर्ता को न तो प्रकरण में पक्षकार ही बनाया और न ही पटवारी हल्का द्वारा उसे सीमांकन बावत कोई सूचना ही दी गई, राजस्व निरीक्षक महोदय ने पटवारी हल्का से प्रतिवेदन मगाया गया, पटवारी हल्का ने गलत तथ्यों का हवाला देते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर राजस्व निरीक्षक महोदय ने उक्त तथ्यों का उचित परिशीलन न करते हुए आलोच्य आदेश पारित किया गया जिससे व्यथित हो कर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है जो निम्नलिखित है :–

मान्यवर,

AB Singh

A B Singh

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ
निगरानी प्रकरण कमांक तीन–निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/3311

| स्थान दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 5/4/18 | यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त अमलिया तहसील सिंहवाल जिला सीधी के प्रकरण कमांक 173 अ–12/13–14 में पारित आदेश दिनांक 4–4–2014 के विरूद्व म.प्र.भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर में दिनांक 14–9–17 को प्रस्तुत की गई है।<br>2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने ग्राम गड़रिया की आराजी कमांक 99/6, 99/7, 99/7/1, 101/4, 101/6, 101/7, 101/8 क के सीमांकन की मांग की, जिस पर राजस्व निरीक्षक ने प्रकरण कमांक 173 अ–12/13–14 पॅजीबद्व किया तथा सीमांकन की मेढ़िया कास्तकारों को सूचना जारी की। हलका पटवारी एंव राजस्व निरीक्षक ने दिनांक 23–3–2014 को मौके पर जाकर सीमांकन कार्यवाही की, पंचनामा तैयार किया , जिस पर से हलका पटवारी ने सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 1–4–14 प्रस्तुत किया। सीमांकन पर आपत्ति आने के कारण राजस्व निरीक्षक ने आपत्तिकर्ता को सुना तथा आपत्तिकर्ता की आपत्ति अमान्य करते हुये आदेश दिनांक 4–4–14 पारित करके सीमांकन को अंतिमता प्रदान कर दी। आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया है कि हलका पटवारी ने एंव राजस्व निरीक्षक ने आवेदक को सूचना दिये बिना चोरी छिपे सीमांकन किया है एंव भूमि की गलत पैमायश की गई है जिसके कारण अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन से आवेदक की भूमि प्रभावित हुई है । आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के | |

अवलोकन से यह निर्विवाद है कि आवेदक को सीमांकन की सूचना पूर्व से थी, तभी उसके व्दारा किये गये सीमांकन पर आपत्ति प्रस्तुत की है, है जिस पर राजस्व निरीक्षक ने उन्हें सुनकर अंतिम आदेश पारित किया है। सीमांकन की जानकारी होने के वाद भी आवेदक व्दारा सीमांकन आदेश दिनांक 4–4–14 के वाद दिनांक 14–9–17 को अर्थात 3 वर्ष 5 माह वाद निगरानी प्रस्तुत की है जो समय वाह्य है, किन्तु मामले में गुणदोष पर विचार करने से स्थिति यह है कि सीमांकित भूमि अनावेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर शासकीय अभिलेख में दर्ज है जिसके सीमांकन कराने की वह अधिकारी है। अनावेदक की भूमि के सीमांकन से आवेदक स्वयं की भूमि को प्रभावित होना मानता है, तब वह आर. आई. अथवा उससे वरिष्ठ अधीक्षक भू अभिलेख से स्वयं की भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन एंव सीमांकन आदेश दिनॉक 4–4–14 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है। निगरानी सारहीन होने से इसी स्तर पर निरस्त की जाती है।

सदस्य